

कार्यालय उप वन संरक्षक, बारां

E-mail-dcf.brn.forest@rajasthan.gov.in, Tel.No.. 07453&230244

क्रमांक 0 एफ () / एफ.सी.ए. / उ.व.स. / 2025 -26 / 533)

दिनांक 28/08/2025

निमित्त:- अधिशासी अभियन्ता
सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड शाहबाद।

विशय - रामगढ़ कालापट्टा से करवला लक्ष्मीपुरा सड़क निर्माण के वन भूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव।
Proposal no.FP/RJ/ROAD/6988/2014 (2.00 ha)
संदर्भ:- इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 5544 दिनांक 08.05.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) राज0 के पत्र क्रमांक 86-143 दिनांक 13.01.2025 से श्रमिक दरों में परिवर्तन होने के कारण संशोधित डिमान्ड नोट निम्नानुसार है।

1. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -2 के क्रम में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु धन राशि -

क्र.	वेज रेट @ 252/- की दर से राशि	वेज रेट @ 259/- की दर से राशि	वेज रेट @ 285/- की दर से राशि	जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कर जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	2.00 164100 328200	2.00 198000 396000	2.00 850600 1701200	328200	1373000

2. सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या -3 के क्रम में NPV हेतु धन राशि --

क्रम सं.	तत्समय प्रचलित दर से ली गई राशि 626000/-	NPV वर्तमान नवीन दर से ली गई राशि 957780/-	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
	क्षेत्रफल दर राशि	क्षेत्रफल दर राशि		
	2.00 626000 1252000	2.00 957780/- 1915560/-	1252000	663560

3. FCA उल्लंघन के क्रम में (MOEF & CC) के सरकुलर अनुसार दिनांक 29 जनवरी 2018 के अनुसार निम्नानुसार है।

1. 29 जनवरी 2018 के परिपत्र अनुसार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन पर आरोपित भास्ती
 - a उल्लंघन की दिनांक = 30.06.2021
 - b कुल प्रभावित क्षेत्रफल - 2 है0
 - c NPV की राशि - 957780 प्रति है0
 - d शास्ती की गणना 30 जून 2021 से 31.07.2025 तक
2 X 5 X 957780 = 9577800/-

e. यदि प्रस्ताव जन उपयोगी प्रस्ताव है तो गणना का 20 % शास्ती के रूपदेय होगा और शास्ती 9577800 x (20/100) = 1915560 /- होगी।

4. कुल राशि का विवरण-

क्रम सं	मद का नाम	चही गई राशि	पूर्व में जमा राशि	अवशेष राशि जो अब जमा कराई जानी है।
1.	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि	1701200	328200	1373000
2.	NPV की राशि	1915560	1252000	663560
3.	दण्डात्मक राशि	1915560	0	1915560
4.	कुल योग	5532320	1580200	3952120

अतः अब कुल जमा होने वाली राशि 3952120/- केम्पा मद में जमा करवाकर रसीद इस कार्यालय में प्रेषित करे ताकि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जा सकें।


उप वन संरक्षक

बारां

दिनांक 28/08/2025-

क्रमांक 0 एफ ()/एफ.सी.ए./उ.व.स./2025 -26/ 5332-33

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.अति प्रधान मुख्य वन संरक्षक, नोडल अधिकारी FCA राज. जयपुर।
- 2.संभागीय मुख्य वन संरक्षक, कोटा।


उप वन संरक्षक
बारां